



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 05.09.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली उरई पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एडीजे /एफटीसी (क्राइम अंगेस्ट वूमेन) कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 34,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त हर नारायण उर्फ हन्नू पुत्र चन्दन सिंह नि० ग्राम मौखरी कोतवाली उरई जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली उरई पर मु०अ०सं० 436/18 धारा 452/302/354/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना कोतवाली उरई पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एडीजे /एफटीसी (क्राइम अंगेस्ट वूमेन कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त हर नारायण उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 34,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
शिवदास पाण्डेय



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० संजय कुमार
कोर्ट मुहर्नर



का० राहुल लवानिया
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

